2018/00123

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री चतराराम पुत्र श्री मोडाराम जी — जरिये — सरकार जरिये

जाति देवासी आयु वयस्क(32) — अभियोजन अधिकारी सिरोही

निवासी आम्बेश्वरजी मार्ग कोलर (वेरा विलपुर)

तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.)

बहैसियत पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर मैसर्स प्रेम कार्गो मूवर्स प्रा. लि.

ई 776 / III लाल कोठी स्कीम जयपुर ।

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. **83 वर्ष 2018**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.12.2018	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम के सी. आर. नं. 134 दिनांक 27.11.2018 में दिनॉक 26.11.2018 को उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेंकर नम्बर आरजे 29 जीए 1642 पकडा गया हैं जिसमें 19980 लीटर डीजल भरा हुआ है । उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही श्रीमती नीलिमा शर्मा को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया परिवाद दिनांक 17.12.2018 को प्रस्तुत किया गया। जिसका का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 26.11.2018 को वक्त 9.05 पी.एम. पर श्री सोमाराम हेडकानि. नम्बर 291 पुलिस थाना पालडी एम ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि हनुमान होटल हाईवे नम्बर 62 जो सरहद पालडी एम थाना में स्थित है जहां होटल के बाहर खाली जगह पर एक टेंकर चालक अपने टेंकर की सील तोडकर डीजल चोरी कर रहा है एवं होटल पर कार्यरत् दिनेश पुत्र श्री भागीरथ विश्नोई निवासी काबडा पुलिस थाना ओसियां जिला जोधपुर चोरी किया हुआ डीजल कम दाम में बिक्री कर रहा है तथा उक्त डीजल को अवैद्य रूप से खरीद कर संचय कर अन्य लोगो को मुनाफा कमाने हेतु उच्च दामों में बेच रहा है कार्रवाई हेतु आवें उक्त सूचना मिलने पर मौके पर पहुचें तो सरहद में हनुमान होटल के पास वाहन सं. आर.जे.29 जीए 1642 को चैक करने पर उसकी सील टुटी हुई पायी गई और सील के संबंध में श्री इरफान पुत्र श्री बाबुखां मुसलमान निवासी धिरोडदा पुलिस थाना जसवतगढ जिला नागौर जो वाहन का चालक है से पूछने पर बताया कि उसनें डीजल चोरी करने के लिए टेंकर की सील तोडकर इस टेंकर मे से 20 लीटर डीजल दिनेश को बेचा है मौके	

जिला कलेक्टर, सिरोही

पर उपस्थित इरफान की तलाशी लेने पर उसकी जेब से तोडी गई सील बरामद की गई तथा चोरी किया गया डीजल मौके पर पास ही रखे 2 आसमानी रंग के ड्रम एवं 1 भूरे रंग के 50 लीटर जरीकन तथा 2 20 लीटर के जरीकन में भरा हुआ पाया गया वही पर एक लोहे का किमा एवं 15 फिट लम्बा 1 प्लास्टिक का पाईप पाया गया है 2 बडे ड्रमों की क्षमता 200–200 लीटर की है। जिसे पूछने पर दिनेश ने बताया कि इस 20 लीटर डीजल के अलावा भी उसने अन्य टेंकरो के चालको से चोरी किया हुआ डीजल कय किया है जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 की SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह देवडा व श्रीमती नीलिमा शर्मा अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री इरफान पुत्र श्री बाबुखां जाति मुसलमान निवासी धिरोडदा थाना जसवतगढ जिला नागौर हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर कम्पनी के प्रेट्रोलपम्प जो सरहद थाना पालडी एम में अवस्थित है पर खाली करने हेतु जा रहा था । रास्ते में के पास पालडी एम ग्राम की सरहद में पुलिस ने उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 19980 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है जिसके इनवॉइस नम्बर 3037 दिनांक 25.11.2018 नायरा एनर्जी लिमिटेड जामनगर, गुजरात के नाम से प्रार्थी की कम्पनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम जिला सिरोही है। डीजल के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा डीजल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा डीजल से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

अतः डीजल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

श्रीमती नीलिमा शर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 134 दिनांक 27.11.2018 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टाटा टेंकर एलपीटी 2515 वाहन संख्या आर.जे. 29 जीए 1642 में डीजल 19980 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ आई आर कमांक 134 दिनांक 27.11.2018 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्येापान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूचती हूँ कि पुलिस द्वारा टाटा टेंकर एलपीटी 2515 वाहन संख्या आर. जे. 29 जीए 1642 में 19980 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है । डीजल को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक एवं डीजल स्वामी को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है । उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 6,50,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के आदेश हमारे न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2018 को मुकदमा संख्या 82/2018 चतराराम बनाम सरकार में दिये जा चुके है । डीजल के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं कि गयी बहस से यह पाया जाता है कि वाहन में भरा हुआ डीजल चोरी का होना अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में असफल साबित हुए है केस डायरी का अवलोकन करने पर इनवॉइस नम्बर 3037 दिनांक 25.11.2018 नायरा एनर्जी लिमिटेड जामनगर, गुजरात के नाम से प्रार्थी की कम्पनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम जिला सिरोही के नाम स्टॉक ट्रांसफर इनवॉइस नम्बर 211152 दिनांक 25.11.2018 समय 10:51:21 डिसीपीआई नम्बर 8570609574 दर्ज है एवं फॉर्म 402 (For movement of goods within the State or goods moving outside the State) के नम्बर 40032658027 दिनांक 25.11.2018 समय 07:20:29 पी.एम. दर्ज है। जिससे पाया जाता है कि उक्त टेंकर जामनगर से रवाना होकर पालडी एम नायरा एनर्जी लिमिटेड पहुंचनी थी केस डायरी का अवलोकन करने पर पाया कि पुलिस द्वारा फर्द निरीक्षण घटना स्थल में कम संख्या 9 पर बनाये गये नक्शें में बताया गया है कि हनुमान होटल पश्चिम दिशा में हैं उक्त हाइवे फॉरलेन है जिससे हनुमान होटल पर होकर टेंकर आगे जाकर कट से पूर्व दिशा में जाकर वापस सिरोही की तरफ पालडी एम गांव की सरहद में बने पेट्रोल पम्प पर टेंकर में भरा डीजल खाली किया जाना प्रतीत होता है इस प्रकार यह प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है कि टेंकर में भरा हुआ डीजल चोरी का होना नही माना जा सकता पुलिस द्वारा कब्जे पुलिस लिया गया टेंकर विधि अनुसार लिया जाना नही पाया जाता है अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्ट्या यह सिद्ध करनें में असफल साबित हुए है। ड्रमों एवं जरीकन में भरा डीजल एवं वाहन के अंतरिम निस्तारण के आदेश मुकदमा संख्या 82/2018 दिनांक 19.12.2018 को रूपये 6,50,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर दिये जा चुके है थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम द्वारा केस डायरी प्रस्तुत नही करने से वाहन में भरे डीजल का निस्तारण नही हो सका। आज केस डायरी के प्रस्तुत करने पर अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्ट्या डीजल को चोरी का होने का कथन साबित करने में असफल रहे

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका निस्तारण करना आवश्यक हैं । अतः वाहन में भरे हुए डीजल 19980 लीटर को उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 20260 लीटर डीजल जो टेंकर नं. आरजे 29 जीए 1642 में भरा हुआ है को उसके स्वामी को जो नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम है को सुपुर्द करें एवं मुकदमा संख्या 82/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2018 के पालन में दो ड्रमों एवं तीन जरीकन में कुल 280 लीटर डीजल भरा हुआ है को नियमानुसार लाईसेंस होल्डर डीलर/पेट्रोलपंप डीलर को कम्पनी दर पर दिलवा कर एवं टेंकर की सील डीजल निकालने के उपकरण किमा व नली जो पुलिस थाना पालडी एम में पडा हैं, को नियमानुसार निलाम कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करावे ।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर डीजल सुपुर्द करने हेतु जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को मूल केस डायरी के साथ भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(अनुप्रभा गोरवाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner